न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-630RAAJodhpur2025-285RTA223 Anju Kanwar ors Vs Ugam Singh etc
2025-639RAAJodhpur2025-284RTA223 Anju Kanwar ors Vs Ugam Singh etc

01. श्रीमती अंजु कंवर पत्नी उदय सिंह
02. सुमेर सिंह पुत्र उदय सिंह,
जातियान–पुरोहित निवासीगण–ग्राम अनोप नगर, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. उगम सिंह पुत्र मुकन सिंह,
02. राम सिंह पुत्र सबल सिंह
03. लक्ष्मण सिंह पुत्र सबल सिंह
04. मनोहर सिंह पुत्र सबल सिंह,
सभी जातियान–पुरोहित निवासीगण ग्राम अनोपनगर, देचु, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।
05. हुकम सिंह पुत्र तखत सिंह,
06. दीपू कंवर पत्नी तखत सिंह,
07. जीवराज सिंह पुत्र उदय सिंह,
सभी जातियान–पुरोहित निवासीगण–ग्राम अनोपनगर, देचु, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।
08. त्रिलोक चन्द पुत्र लालचन्द जाति–महाजन निवासी–आसरलाई तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।
09. सुरेश कुमार पुत्र स्वरूपचन्द जाति–महाजन निवासी–ग्राम देचू तहसील देचू जिला जोधपुर राजस्थान।
10. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, युको बैंक, देचू।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।
12. जैमिनी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह इन्दा पुत्र श्री जसवंतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– 701, आशापूर्ण टॉवर पावटा ए रोड़, जोधपुर

रेस्पोडेन्ट्स.......

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर देचू राजस्व मूल वाद संख्या 75/2022 (184/2021) उगमसिंह व अन्य बनाम हुकमसिंह इत्यादि

(02)2025-639RAAJodhpur2025-284RTA223 Anju Kanwar ors Vs Ugam Singh etc

01. श्रीमती अंजु कंवर पत्नी उदय सिंह
02. सुमेर सिंह पुत्र उदय सिंह,
    जातियान–पुरोहित निवासीगण–ग्राम अनोप नगर, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. उगम सिंह पुत्र मुकन सिंह,
02. राम सिंह पुत्र सबल सिंह
03. लक्ष्मण सिंह पुत्र सबल सिंह
04. मनोहर सिंह पुत्र सबल सिंह,
    सभी जातियान–पुरोहित निवासीगण ग्राम अनोपनगर, देचु, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।
05. हुकम सिंह पुत्र तखत सिंह,
06. दीपू कंवर पत्नी तखत सिंह,
07. जीवराज सिंह पुत्र उदय सिंह,
    सभी जातियान–पुरोहित निवासीगण–ग्राम अनोपनगर, देचु, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।
08. त्रिलोक चन्द पुत्र लालचन्द जाति–महाजन निवासी–आसरलाई तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।
09. सुरेश कुमार पुत्र स्वरूपचन्द जाति–महाजन निवासी–ग्राम देचू तहसील देचू जिला जोधपुर राजस्थान।
10. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, युको बैंक, देचू।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।
12. जैमिनी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह इन्दा पुत्र श्री जसवंतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– 701, आशापूर्ण टॉवर पावटा ए रोड़, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेन्ट्स.......

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2022
सहायक कलक्टर देचू राजस्व मूल वाद संख्या 75/2022
(184/2021) उगमसिंह व अन्य बनाम हुकमसिंह इत्यादि**

उपस्थितः—
श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या
श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 12

नि र्ण य

दिनांक :- 29 मई 2026

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 75/2022(184/2021) अनवान उगमसिंह व अन्य बनाम हुकमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा दोनो अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय—वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग— अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि मौजा अनोपनगर पटवार हल्का आसरलाई तहसील सेतरावा के खसरा नम्बर 791 रकबा 67 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

793/1 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 102 बीघा 15 बिस्वा के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 सितंबर 2022 पारित कर तहसीलदार देचू से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 285/2025 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार देचू से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2022 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील संख्या 284/2025 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई।अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रतिवादीगणो की तलबी एवं जवाब हेतु विचाराधीन चल रही थी तथा तलबी व जवाबदावा प्रस्तुत हुये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अति–शीघ्रता दिखाते हुए अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण का जवाबदावा ही बन्द कर दिया तथा उन्हें जवाबदावा प्रस्तुति तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पक्षकारान् की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। तहसीलदार सेतरावा ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पहले अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण को किसी तरह की कोई सूचना नही दी, न ही विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये। उक्त विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण को सूचना दिये बिना तैयार किया गया और उस पर वादी/रेस्पोडेन्टगण की सहमति के तौर पर मिलीभगत करके हस्ताक्षर करवाये गये है। तहसीलदार सेतरावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण का मौके के विपरीत कब्जा काश्त दर्शाया गया है तथा अपीलांट्स की जोत तक आवागमन हेतु मौके पर रास्ते का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके अधिवक्ता की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। कानूनन अपीलान्ट के अधिवक्ता अपीलांट की बिना स्वीकृति के सहमति देने का कोई अधिकार नहीं है तथा न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता द्वारा ऐसी सहमति देने से पहले कोई सूचना दी गई। विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों के अनुसार अधिवक्ता की गलती का खामियाजा किसी प्रकार से पक्षकार को नही भुगताया जा सकता है और उस पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने कानूनन न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी भी प्रकार की कोई सूचना इत्यादि नही दी गई, अभी हाल ही में दिनांक 26.10.2025 को अन्य प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट वादी/अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा करने की नियत से आये तथा अपीलाधीन वाद का फैसला न्यायालय से हो जाने का कहने पर अपीलान्ट्स को वहम हुआ और अपीलान्ट्स ने तुरन्त ही इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करके जानकारी चाही तो अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बताया कि उक्त बंटवाड़े के मुकदमें का दिनांक 22.11.2022 को अन्तिम निर्णय हो गया है। यह जानकारी हो जाने पर अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया और अपीलाधीन निर्णय व अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 28.10.2025 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 21.09.2022 व 22.11.2022 की प्रथम जानकारी हुई। इससे पहले अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की किसी तरह की कोई जानकारी नही रही है। अपीलान्ट्स ग्रामीण तबके के व्यक्ति है और कानून की बारिकियों से अनभिज्ञ है। इस कारण अपीलान्ट्स ने जानबुझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी नही की है, बल्कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का उचित व माकुल कारण रहा है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनो अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं उक्त अपील अंदर म्याद शुमार की जाकर दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 75/2022(184/2021) अनवान उगमसिंह व अन्य बनाम हुकमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

21 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद में अपीलांट्स सहित सभी प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है तथा अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही विभाजन प्रस्ताव मंगवाने में अपनी सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.09.2022 पारित कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलांट्स को सहमति से पारित निर्णय के संबंध में उज्र उठाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये पक्षकारान् के हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा भी गुणावगुण पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार के उज्र नहीं उठाये गये है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। वकील रेस्पो. ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव निर्देशानुसार मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त अपीलांट के भाई जीवराजसिंह मौके पर मौजूद रहा है तथा उसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभय पक्ष की सहमति से विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। रेस्पोडेंट संख्या 12 द्वारा सहमति से विभाजन के बाद वादग्रस्त आराजीयात खरीद की गई है। कानूनन सहमति से पारित निर्णय के विरूद्ध अपीले पोषणीय नही है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किये जाते है एवं दोनो अपीले अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने में सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा अनोपनगर पटवार हल्का आसरलाई तहसील सेतरावा के खसरा नम्बर 791 रकबा 67 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा संख्या 793/1 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 102 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु तहसीलदार सेतरावा को निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से उनके हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.11.2022 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार सेतरावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व नोटिस क्रमांक 1010–1020 दिनांक 28.10.2022 को सभी पक्षकारान् को नोटिस जारी किये जाकर सूचित किया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार सेतरावा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना मे विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षकारान् के वर्तमान कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के भाई/रेस्पो. संख्या पांच के हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। कानूनन सहमति से पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 75/2022(184/2021) अनवान उगमसिंह व अन्य बनाम हुकमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2022 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-630RAAJodhpur2025-285RTA223 Anju Kanwar ors Vs Ugam Singh etc
2025-639RAAJodhpur2025-284RTA223 Anju Kanwar ors Vs Ugam Singh etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. श्रीमती अंजु कंवर पत्नी उदय सिंह 02. सुमेर सिंह पुत्र उदय सिंह, जातियान–पुरोहित निवासीगण–ग्राम अनोप नगर, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान।	ब ना म	1. उगम सिंह पुत्र मुकन सिंह, 2. राम सिंह पुत्र सबल सिंह 3. लक्ष्मण सिंह पुत्र सबल सिंह 4. मनोहर सिंह पुत्र सबल सिंह, सभी जातियान–पुरोहित निवासीगण ग्राम अनोपनगर, देचु, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान। 5. हुकम सिंह पुत्र तखत सिंह, 6. दीपू कंवर पत्नी तखत सिंह, 7. जीवराज सिंह पुत्र उदय सिंह, सभी जातियान–पुरोहित निवासीगण–ग्राम अनोपनगर, देचु, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान। 8. त्रिलोक चन्द पुत्र लालचन्द जाति–महाजन निवासी–आसरलाई तहसील सेतरावा जिला जोधपुर राजस्थान। 9. सुरेश कुमार पुत्र स्वरूपचन्द जाति–महाजन निवासी–ग्राम देचू तहसील देचू जिला जोधपुर राजस्थान। 10. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, युको बैंक, देचू। 11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर। 12. जैमिनी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह इन्दा पुत्र श्री जसवंतसिंह, जाति राजपूत, निवासी– 701, आशापूर्ण टॉवर पावटा ए रोड़, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2022 सहायक कलक्टर देचू राजस्व मूल वाद संख्या 75/2022 (184/2021) उगमसिंह व अन्य बनाम हुकमसिंह इत्यादि

यह अपीले बतारीख 29 मई 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बावरला, मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री कानाराम गोदारा, श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 75/2022(184/2021) अनवान उगमसिंह व अन्य बनाम हुकमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22 नवंबर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----00----) रूपये --------00---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का -----00------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 29 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि।
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील	/
मीजान		मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर